भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अंतारांकित प्रश्न सं. 2309

जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है

राज्यीय राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तन

2309. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने / उन्नयन करने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया हैं;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन हेतु अभिज्ञात किए गए राज्यीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अब तक एनएचडीपी के अंतर्गत राज्यवार कितने राज्यीय राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्न्यन किया गया है;

(घ) देश में ऐसी लंबित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन लंबित परियोजनाओं के परियोजना-वार कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) तिरूनेलवेली जिले में ऐसी लंबित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन लंबित परियोजनाओं को परियोजना-वार कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राज्यीय राजमार्गों (एसएच) सहित राज्य की सड़कों को समय-समय पर सुस्थापित व्यापक सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के रूप में घोषित किया जाता है, जिनमें शामिल हैं: -

i. निकटवर्ती देशों, राष्ट्रीय राजधानियों को राज्य की राजधानियों/पारस्परिक रूप से राज्य की राजधानियों, प्रमुख बंदरगाहों, गैर-प्रमुख बंदरगाहों, बड़े औद्योगिक केंद्रों या पर्यटन केंद्रों से जोड़ने वाली सड़कें।

ii. पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कें।

iii. मुख्य सड़कें जो यात्रा की दूरी को काफी कम करती हैं और जो पर्याप्त आर्थिक विकास हासिल करती हैं।

iv. सड़कें जो पिछड़े क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के बड़े भूभागों को खोलने में मदद करती हैं।

v. 100 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड की उपलब्धि में योगदान देने वाली सड़कें।

vi. पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल।

(ख) और (ग) सरकार को समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से राज्य की सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने/उन्नयन करने तथा भारतमाला परियोजना [राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) सहित] के अंतर्गत नई सड़कों के विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के व्यापक सिद्धांतों, संपर्कता की आवश्यकता, यातायात सघनता, परस्पर प्राथमिकता और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ तालमेल के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित राज्य सड़कों, जिनमें राज्य राजमार्ग और ग्रीनफील्ड खंड शामिल हैं, का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में संलग्न है।

(घ) विभिन्न योजनाओं (भारतमाला परियोजना सहित) के तहत क्षमता वृद्धि सहित अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य यातायात सघनता, सड़क की स्थिति, परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर किए जाते हैं। वर्तमान में, देश में 8.11 लाख करोड़ रुपये की लागत से 31,187 किलोमीटर लंबाई में 1,310 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 17,104 किलोमीटर लंबाई पूर्ण हो चुकी है। ये परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और इनके वित्त वर्ष 2028-29 तक चरणबद्ध तरीके से पूर्ण होने की संभावना है।

(ङ) तमिलनाडु राज्य में 36,490 करोड़ रुपये की लागत वाली 984 किलोमीटर लंबाई की 56 एनएच परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 549 किलोमीटर लंबाई पूर्ण हो चुकी है। ये परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और वित्त वर्ष 2026-27 तक चरणबद्ध तरीके से पूरी होने की संभावना है।

अनुबंध

'राज्यीय राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तन' के संबंध में' श्री रॉबर्ट ब्रूस सी द्वारा दिनांक 13.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2309 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित राज्य सड़कों, राज्य राजमार्गों और ग्रीनफील्ड खंडों सहित, का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा : -

						लम्बाई किमी में
क्रमांक सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	आंध्र प्रदेश	0	846	447	481	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	1,748	82
3	असम	0	97	71	0	0
4	बिहार	0	413	169	0	162
5	छत्तीसगढ	0	15	0	0	0
6	गोवा	0	6	0	0	0
7	गुजरात	265	844	141	0	214
8	हरियाणा	0	71	23	132	0
9	जम्मू और कश्मीर	0	0	55	124	59
10	झारखंड	0	26	37	0	203
11	कर्नाटक	0	77	229	461	69
12	केरल	0	0	0	76	0
13	मध्य प्रदेश	0	178	121	93	0
14	महाराष्ट्र	174	265	122	142	-13
15	मणिपुर	0	90	0	0	0
16	मिजोरम	0	0	0	76	0
17	नागालैंड	0	0	123	0	0
18	ओडिशा	0	136	0	0	0
19	पंजाब	50	775	140	0	0
20	राजस्थान	0	8	127	230	0
21	सिक्किम	0	246	0	0	0
22	तमिलनाडु	0	117	0	142	0
23	त्रिपुरा	0	0	0	35	0
24	तेलंगाना	0	469	661	0	0

						लम्बाई किमी में
क्रमांक सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
25	उत्तराखंड	0	463	240	0	0
26	उत्तर प्रदेश	0	94	414	54	-129
27	पश्चिम बंगाल	0	0	9	0	235
28	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	6	0	0	0	0
नोट: पुनर्संरेखण/बाईपास निर्माण/लंबाई वि-अधिसूचित आदि के कारण ऋणात्मक आंकड़े।						

*****